



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2025/1167-1173

Dated: 03.12.2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की खुली निविदा क्रमांक: No. F (OT)/Estt/ARSS/KUMHER/2025/1134-1141 दिनांक: 21.11.2025 के तहत कार्यालय आदेश 01.01.2026 से 31.12.2026 नवीन दरों पर उक्त आदेश जारी किया जाता है।


क्र० सं०	विवरण	राज्य सरकार से मान्य दरें	समय अवधि	निविदा की स्वीकृत दरें
1	अकुशल	285.00	8 घण्टे प्रतिदिन	285 EPF+ESI+3.0 प्रतिशत
2	अर्द्धकुशल	297.00	8 घण्टे प्रतिदिन	297 EPF+ESI+3.0 प्रतिशत
3	कुशल	309.00	8 घण्टे प्रतिदिन	309 EPF+ESI+3.0 प्रतिशत
4	उच्चकुशल	359.00	8 घण्टे प्रतिदिन	359 EPF+ESI+3.0 प्रतिशत

नोट:—ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पर प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से राजस्थान सरकार में जमा करवानी होगी।

फर्म मैसर्स जन सेवा समिति, भरतपुर दिनांक 01.01.2026 से निम्नलिखित निविदा शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाता है।

1. अकुशल श्रमिक एवं अन्य कृषि कार्य के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा चाहे संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से ठेकेदार को भुगतान देरी से ही क्यों न हो।
2. अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य का निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुँचना होगा।
3. अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जावेगा।
4. अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक यदि कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेकेदार से पेनेल्टी के रूप में 500/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से काटा जावेगा।
5. अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मदिरापान या धूम्रपान आदि का सेवन वर्जित है। मद्यपान या धूम्रपान आदि करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर को होगा।
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11 मार्च 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
8. संवेदक (निविदादाता) द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बावत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
10. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा का अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।


11. संवेदक को राज्य/ केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई. पी.एफ. और ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों को ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा।
12. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्रे बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक को नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
13. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
14. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन), अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
17. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
20. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकार एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
21. निविदादाता को अनुबन्ध पत्र सम्पादित करने से पहले 3 प्रतिशत निष्पादन राशि 24000/- (PERFORMANCE SECURITY) प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के पक्ष में डीडी या बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी।
22. ठेकेदार को नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा, जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबन्ध पत्र प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबन्ध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता को Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढोत्तरी / कमी होती है तो अनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/ घटाई जा सकती है।



प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: .

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर
4. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.skna.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/
6. मैसर्स जन सेवा समिति, भरतपुर
7. रक्षित फाइल ।


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर